

224

Form-I
(for linear project)
Government of Uttarakhand
Office of the District collector Garhwal

No. 398/प्र०अध० (साठ यात्रा) 2014-15

Dated: 04-02-2015


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In the compliance of the ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.155 hectares of forest land pressed to be diverted of Jumpin Adventure Pvt. Lmt. Company Mohan Chhati Dist. Pauri Garhwal with in jurisdiction of Bijnichhooi/Jogiyana in Yamkeshwar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.155 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above


 प्रकाश चन्द्र बhatt
 लेन्सडोन वन प्रभाग
 कोटद्वार


 (Chandra Shekhar Bhatt)
 District Collector Garhwal
 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

(for linear project)

Government of Uttarakhand

Office of District Collector Garhwal

No. 398/प्र०३गैर (सा० य० गैर) 2014-15

Dated 04-02-2015


TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009, where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes, it is Certified that 0.002 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division Jumpin Adventure Pvt. Lmt. Company MohanCharti Distt- Pauri Garhwal, Uttarakhand for Construction of Bunjy Jump, Gaint Swing, flying fox in Mohan Chatti falls with in jurisdiction of kumartha Village in Yamkeshwar tehsils.


- The Complete process for identification and settlement for rights under the FRA has been carried out for the entire 0.002 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Level Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.
- The each of Concerned Gram Sabha(s), has Certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their concent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the propose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of Kumartha Village is enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- The discussion and dicisions of such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha Present.
- The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their Conset to it.
- The rights of primitive drival groups and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA,.

Encl : As above

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीन वनोपकारी
सैनिकीय वन प्रभाग
कोटगढ़


u-2.15
(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector Garhwal



परियोजना का नाम :- जम्पलन रोडवेचर्स प्रा. लि. मोहनवही कपिलेश्वर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति पत्राण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुमारथ
तहसील जमकेश्वर, जिला पैसी गढ़वाल

अनापत्ति पत्राण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद पैसी गढ़वाल के अन्तर्गत जम्पलन रोडवेचर्स प्रा. लि. परियोजना के निर्माण हेतु (—=— ह० आरक्षित वन भूमि, पैसी गढ़वाल ह० सिविल सायेंस भूमि 0.00 ह०, वन पंचायत भूमि —=— ह०) अर्थात् कुल 0.00 ह० वन भूमि का = कुल 0.00 ह० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमारथ द्वारा दिनांक 10/10/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयाक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति पत्राण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमारथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जम्पलन रोडवेचर्स प्रा. लि. प्रयाक्ता एजेंसी के परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह० / 20/10/14
ग्राम सचिव/प्रकार्य अधिकारी

कुमारथ
पैसी गढ़वाल

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाय।
उक्त पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयाक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।



परियोजना का नाम जम्पइन सेवेक्स प्रा० लि० कम्पनी मोहनचहीकार्यालय उप जिलाधिकारी यमकेश्वर पी० जस्ता

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जम - कुमाहिउपखण्ड स्तरीय समिति यमकेश्वरउपखण्ड यमकेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जम कुमाहि है।
(.....हे० आरक्षित वन भूमि.....हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि.....हे० है।
.....हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल सिविल एवं सोयम.....हे० वन भूमि)कोजम्पइन सेवेक्स प्रा० लि० कम्पनी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील यमकेश्वर) की दिनांक 19.12.05 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डी० पी० सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१. श्री डी० पी० सिंह उपजिलाधिकारी यमकेश्वर अध्यक्ष
२. श्री जो० रमेश चन्द उप प्रभागीय वनाधिकारी यमकेश्वर सदस्य
३. श्री जो० रमेश चन्द सहायक समाज कल्याण अधिकारी यमकेश्वर सदस्य
४. श्री मन्नी प्रजा देवी बी०डी०सी० क्षेत्र यमकेश्वर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जम्पइन सेवेक्स प्रा० लि० कम्पनी मोहनचही द्वारा सेवानिवृत्त साविक के प्रयोग के सुविधान हेतु यम कुमाहि में 0.002 हे० लिवेक सोवक व भूमि 0000 के लिवेक वनवासी के हेतु प्रस्ताव की जाती है। प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी (वन प्रभाग) कोटद्वार द्वारा अनुरोधित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत
 परियोजना के निर्माण हेतु
 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

30/12/2019
 36/2020 कोटद्वार
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 कोटद्वार उप वन प्रभाग
 कोटद्वार

उप जिलाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील
 जनपद गढ़वाल

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष


उप जिलाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील
 जनपद गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
 तहसील वन प्रभाग
 कोटद्वार

दिनांक 10.10.14 को गाम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

गाम पंचायत कुमारवा

क्रमांक	गाम सभा में उपस्थित वरिष्ठ गामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	नरदेव सिंह पण्डित	
02	चिरेन्द्र सिंह बिष्ट (उप प्रधान)	
03	इन्द्र सिंह बिष्ट	इन्द्र सिंह
04	जितेन्द्र सिंह बिष्ट	
05	महिषा सिंह बिष्ट	महिषा सिंह
06	चिरेन्द्र सिंह अछारी	चिरेन्द्र सिंह अछारी
07	रघुवीर सिंह अछारी	रघुवीर सिंह
08	सुलोचना देवी (पूर्व प्रधान)	सुलोचना देवी
09	हरपाल सिंह	हरपाल सिंह
10	श्रीला देवी (सदस्य गाम पंचायत)	श्रीला देवी
11	संजय लाल	संजय लाल
12	जीरज सिंह	जीरज सिंह
13	गोविन्द राम कलवाल (पूर्व प्रधान)	गोविन्द राम
14	संजय लाल	संजय लाल



ह0/-

गाम प्रधान

सत्यमेव जयते


224

प्रमाण सं. 09

प्रमाण दिनांक 10-10-14

किसी भी प्रस्ताव लागू नया है और जो व्यक्ति
जानकारी प्राप्त न-है. द्वारा सम्पादित करने न
सहायिता लेल कार्य है. व्यक्ति सम्पत्ति पुनर्प्राप्त
को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा साथ ही साथ
पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है मिलेन कि यह
सर्व देम के पर्यटन जानकारी पर अधिकतम हुआ
है तथा किसी सम्पत्ति जानव है अनापछी
प्रमाण-पत्र (N.O.C) ज्ञात नया है तथा किसी
सम्पत्ति जानव को इस पर कोई आपाछी नहीं
है. तथा साथ ही अनापछी प्रमाण-पत्र देने की
किसी भी सहायिता ज्ञात की गई.


30
ग्राम विकास अधिकारी
कुमार
वि. भा. वि. भा. वि. भा.
वि. भा. वि. भा. वि. भा.



दिनांक 29.10.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोगियाणा (खिनीहोटी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	धर्मपाल सिंह	धर्मपाल सिंह
2.	सुरज न सिंह	सुरज न सिंह
3.	मुकुंद सिंह	Mukund Singh
4.	सुजय सिंह	सुजय सिंह
5.	देव सिंह	देव सिंह
6.	सुशिल सिंह	सुशिल सिंह
7.	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
8.	विनायक सिंह	BB
9.	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
10.	वल्लभनाथ सिंह	वल्लभनाथ सिंह
11.	सुनील सिंह	सुनील सिंह
12.	जवाहर सिंह	जवाहर सिंह
13.	उमेश सिंह	उमेश सिंह
14.	नीरज सिंह	नीरज सिंह
15.	सुखपाल सिंह	सुखपाल सिंह
16.	देव सिंह	देव सिंह
17.	बोरपाल सिंह	बोरपाल सिंह
18.	अपा देवी	अपा देवी
19.		



ह0/

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम जम्पडन रेवेन्स माओ लि नम्पनी ग्रीनवर्डीग्राम-जोख्यारा (किन्नी छोटी)कार्यालय उप जिलाधिकारी जमकेखर पोड़ी गढ़वाल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

जोख्यारा (किन्नी छोटी)

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति जमकेखर पोड़ी गढ़वालउपखण्ड जमकेखर परिक्षेत्र के अन्तर्गत किन्नी छोटी.....हे० आरक्षित वन भूमि.....हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि.....0.155 हे०

.....हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल.....हे० वन भूमि)को

जम्पडन रेवेन्स माओ लि नम्पनी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता)

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील जमकेखर) कीदिनांक 19.11.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की

मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार

समिति की बैठक श्री डी. पी. सिंह उप जिलाधिकारी एवं

अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

9. श्री डी. पी. सिंह उपजिलाधिकारी जमकेखर अध्यक्ष2. श्री जोख्यारा रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटवाल सदस्य3. श्री जमकेखर पोड़ी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव4. श्री जमकेखर पोड़ी वी०डी०सी० क्षेत्र जमकेखर सहायक विकास अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप

जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को

अवगत कराया गया कि जम्पडन रेवेन्स माओ लि नम्पनी ग्रीनवर्डी वनवासी जोख्यारा के जमकेखर क्षेत्र में 0.155 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि को 30 वर्ष के लिए नवीकरित

है। प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय

सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला

लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित

प्रस्ताव के आधार सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जमनादेवर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जमनादेवर रोडवेज
 11.0.18 परियोजना के निर्माण हेतु 155 हे०
 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जमनादेवर
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 कोटद्वार उप वन प्रभाग
 कोटद्वार

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष जमनादेवर गढ़वाल
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील जमनादेवर
 जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील जमनादेवर
 जनपद पौड़ी गढ़वाल

2.24

प्रारूप ३०४

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (UK)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekhar Bhatt I.A.S dupty commissioner, Garhwal on dated 26.2.15 at Pauri in which application claiming rights in civil soyam ban bhumi measuring 0.157 Hect. For the construction of Jumpin Adventure pvt. Ltd company in Bijni Chhoti & Kumartha Mohanchatti Yamkeshwar Pauri Garhwal

Following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of yamkeshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After security of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for renewal of land lease for jumpin adventure Pvt. Ltd. (Bunjy Jump, Gaint swing and flying fox) purpose

Place... Pauri

Date... 26.2.15

26.2.15
(Chandra Shekhar Bhatt)

(Deputy Commissioner-Cum –Chairman
District Level Committere
Pauri Garhwal)

जिलाधिकारी

पट्टवाल

It is further certified that – Minutes of Meeting for renewal of civil soyam ban bhoomi (0.157 Hec.) in village Bijni Chhoti and kumartha for Bungy jump, giant swing and flying fox near mohanchatti FRA is as following

S.No.		Remark
(a)	This 0.157 Hec. Civil soyam ban bhoomi was sanctioned on lease for 5 years to the jumpin adventure pvt. Ltd. Company by govt. of India letter no 8B/ycp/09/137/ FC/88 dated 23.10.2009 for construction of bungy jump Gaint swing and flying fox in village Bijni chotti and Kumartha near Mohanchatti. A copy of record on consultation and meeting of the forest right committee(s). sub Divisional Level committee are enclose3d as annexure 30.2	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers No objection certificate concerned villages regarding renewal of lease of 0.157 hec. Civil soyam ban Bhoomi for Jumpin Adventure Pvt. Ltd. Company Mohanchatti is attached
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal grops and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जीता राणा

गीता राणा

सदस्य जिला पंचायत

12 भादसी

पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जिला पंचायत सदस्य

जीतराणा

समान कल्याण अधिकारी
पौड़ी

Rana

क्षेत्र पंचायत सदस्य

उर्मिता राणा

सदस्य-क्षेत्र पंचायत कोटा

यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल

2

26.2.15

जिलाधिकारी

पदवाल